# यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

**पंजीकरण संख्या–538**
**ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध**
**केन्द्रीय कार्यालय :** 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
**पत्र व्यवहार :** 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**


**परिपत्र संख्या :** 2016–19/109/2017 **दिनांक :** 05.12.2017

**सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों**
**जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु**

प्रिय साथियों,

## *बजट 2018*

एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने अपने पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2017/113 दिनांक 02.12.2017 के माध्यम से आगामी बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री, श्री अरूण जेटली को अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये हैं। हम उनके पत्र का अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

**(मदन मोहन राय)**
**महामंत्री**

---

प्रति
**श्री अरूण जेटली**
**माननीय वित्त मंत्री**
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

## बजट में विचार के लिए एआईबीईए के सुझाव

हम समझते हैं कि आपके मंत्रालय के तहत सरकार आगामी बजट में समावेश के लिए विभिन्न विचारों और सुझावों की माँग करने की प्रक्रिया में है।

ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन की ओर से, हमारे देश में बैंक कर्मचारियों का सबसे पुराना और बड़ा श्रम संगठन, जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों में कार्य करने वाले लगभग 5 लाख बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, हम बजट प्रस्तावों में सरकार द्वारा विचार के लिए अपने विचारों और सुझावों को यहाँ प्रस्तुत करते हैं।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,
ह0..
**सी.एच. वेंकटचलम्**
**महामंत्री**

*जारी पृष्ठ 2*

# बजट 2018 – ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन की ओर से सुझाव

## बैंकिंग क्षेत्र :

1. बैंकिंग के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए।
2. घरेल बचतों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज की दर ऊपर की ओर संशोधित की जानी चाहिए कम से कम 2 आधार बिन्दुओं द्वारा।
3. सावधि जमाओं पर ब्याज बढ़ाई जानी चाहिए तथा आयकर के दायरे से बाहर होनी चाहिए।
4. बैंकों को 2% वार्षिक (साधारण) की दर पर कृषि ऋण का विस्तार करना चाहिए। अत्यन्त गरीब तथा सीमांत किसानों के लिए, यह ब्याज मुक्त होना चाहिए।
5. 4% वार्षिक (साधारण) की दर पर कम आय वाले समूहों को ऋण विस्तारित करने के लिए विभेदक ब्याज दर योजना का पुनरूद्धार होना चाहिए।
6. बैंकों को ब्याज छूट के साथ 5% वार्षिक (साधारण) की दर से गरीब वर्गों के लोगों के लिए रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण का विस्तार करना चाहिए।
7. बैंकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे छात्रों के मामले में अवकाश अवधि का और विस्तार करें, जो पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं कर सके, उनको 12–24 माह का समय और दिया जाना चाहिए जैसा कि उस मामले में निर्भर करे।
8. सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।
9. सरकार को 100% हिस्सेदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश नहीं करना चाहिए।
10. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के संकट पर तुरन्त काबू पाने के लिए, सरकार को, अकेले सबसे बड़े मालिक होने के नाते, बैंकों को पर्याप्त और परेशानी मुक्त पूंजी निवेश प्रदान करना चाहिए।
11. बैंक ऋणों की जानबूझकर चूक को कानून में उपयुक्त संशोधन के माध्यम से एक दण्डनीय अपराध के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
12. बैंकों की अनार्जक आस्तियाँ आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी हैं और इसलिए, सरकार को उच्च मात्रा में खराब ऋणों की वसूली के लिए और अधिक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करनी चाहिए।
13. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को बकाएदारों की सूची प्रकाशित करने के लिए सशक्त होना चाहिए, जिन्हें रू0 1 करोड़ से अधिक बैंकों को देना है।
14. यह बकाएदारों की सूची अपडेट के साथ प्रत्येक छह माह में प्रकाशित होनी चाहिए।
15. जानबूझकर बैंक ऋण बकाएदारों को स्थानीय निकाय या विधान सभा अथवा संसद का चुनाव लड़ने से अथवा कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
16. ऐसे व्यक्तियों को, जो उच्च पदों पर आसीन हैं और जिनके नाम बकाएदारों की सूची में शामिल हैं, उन्हें अपने पदों को त्यागने के लिए कहा जाना चाहिए।
17. फास्ट ट्रैक अदालतों को खराब ऋणों की वसूली के लिए अधिक शक्तियों से निहित किया जाना है तथा अधिक वसूली सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियमों को अधिनियमित किया जाना चाहिए।
18. आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को बन्द किया जाना चाहिए। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को उन्हें बेचने के बजाय त्वरित उपाय खराब ऋणों की वसूली के लिए किये जाने चाहिए।

*जारी पृष्ठ 3*

19. बैंकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे ''विवेकपूर्वक बट्टे खाते डाले गये/तकनीकी आधार पर बट्टे खाते डाले गये'' खातों की वसूली के लिए, महाप्रबंधक की अध्यक्षता में, पृथक ऊर्ध्वाधर संस्थान की स्थापना करें।

20. इस प्रकार की वसूली का ब्यौरा बैंक के निदेशक मण्डल के समक्ष रखना चाहिए और तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए।

21. कम्पनी अधिनियम में उपयुक्त रूप से संशोधन करके, एक कम्पनी द्वारा चूक के मामले में निदेशकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कानूनों को संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें वो निदेशक हैं।

22. एक प्रणाली ऋण मंजूरी के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/ मुख्य प्रबंध निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित की जानी चाहिए, जो अंततः व्यथित आस्तियों/शीघ्र समाप्त होने वाले मामलों के अन्तर्गत आते हों।

23. ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा होनी चाहिए, जिनके बैंकों से लिये गये ऋण/लोन ब्याज के साथ बट्टे खाते डाले गये थे।

24. कॉर्पोरेट घरानों पर सख्त निगरानी होनी चाहिए, जो बाह्य वाणिज्यिक उधार का सहारा लेते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विविधिकरण के बजाय सरकार द्वारा उल्लिखित नियमों/दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन हो रहा है।

25. आरबीआई को बैंक खोलने के लिए निजी कॉर्पोरेटों को लाईसेंस जारी करना बन्द करना चाहिए और ऑन टैप लाईसेंसिंग नीति खत्म की जानी चाहिए।

26. ग्रामीण आबादी के हित में और उचित ग्रामीण ऋण सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बुनियादी ढांचे का प्रायोजक बैंकों के साथ उनके विलय द्वारा उपयोग किया जायेगा।

27. सहकारी बैंकिंग संस्थानों को सुदृढ एवं पुर्नपूंजीकृत किया जाना चाहिए एक ऐसे सामूहिक कार्यप्रणाली से जिसमें उन्हें केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारों द्वारा पूंजी प्रदान की जाये और जो वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं के लागू करने के द्वारा किया जाये। इस प्रयोजन के लिए एक पृथक पुर्नपूंजीकरण कोष बजट में बनाया जाना चाहिए।

28. फसल के न हो पाने और प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण छोटे और सीमांत कृषकों से कृषि ऋण की वसूली न हो पाने के मामले में सहकारी संस्थानों को पुर्नपूंजीकृत करने के लिए एक विशेष कोष बनाया जाए और बजट से प्रत्येक वर्ष इसके लिए आवंटन किया जाये।

29. सहकारी बैंकिंग संस्थानों के लाभ को आयकर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसको प्रभावी करने के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80P, को समाप्त किया जाये।

30. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विस्तार होना चाहिए और इसके लिए, बैंक रहित क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखायें खोली जानी चाहिए। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और समेकन नहीं होना चाहिए।

31. अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक संवर्गों नामतः सफाई कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी तथा लिपिकीय संवर्ग में भर्ती की संख्या, बड़े पैमाने पर की जानी चाहिए जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और प्रभावी ग्राहक सेवा दी जा सके।

32. बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को दैनिक जमा संग्रहकर्ताओं को बढ़ावा देने की सलाह दी जानी चाहिए और इसके लिए, और अधिक जमा संग्रहकर्ताओं को स्थायी आधार पर बैंकों द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए।

33. सरकार द्वारा बैंकों को विमुद्रीकरण तथा अन्य सरकारी योजनाओं के मूल्य की प्रतिपूर्ति के लिए बजट में घोषणा की जानी चाहिए।

34. बैंकों को शुल्कों में वृद्धि द्वारा बैंक ग्राहकों पर कॉर्पोरेट अनार्जक आस्तियों के भार को नहीं डालना चाहिए और जीएसटी के नाम पर बढ़ाए गए सेवा शुल्कों को वापस लिया जाना चाहिए।

*जारी पृष्ठ 4*

## कराधान

35. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयकर की सीमा अतिरिक्त लाभों नामतः आवास, चिकित्सा, शैक्षिक सुविधायें आदि को छोड़ते हुए रू0 7.5 तक लाख बढ़ाई जानी चाहिए।
36. आयकर की दर रू0 7.5 लाख के ऊपर तथा रू0 12 लाख तक 10% और रू0 12 लाख से ऊपर तथा रू0 20 लाख तक 20% और रू0 20 लाख से ऊपर तथा रू0 25 लाख तक 25% होनी चाहिए।
37. अमीर व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब काफी उठाया जाना चाहिए। रू0 25 लाख और रू0 1 करोड़ के बीच वार्षिक आय के लिए, कर की दर 35% होनी चाहिए और रू0 1 करोड़ से ऊपर वार्षिक आय के लिए, कर की दर 40% होनी चाहिए।
38. सरकार द्वारा उद्योगपतियों, उच्च सकल संपत्ति वाले व्यक्तियों और कम्पनियों, कॉर्पोरेटों से, कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के माध्यम से, कर की बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए।
39. कॉर्पोरेटों और उद्योगपतियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर और बिक्री कर छूट को खत्म और समाप्त कर देना चाहिए।
40. वस्तुओं के लिए एकरूप कर की दर पूरे देश में शुरू की जानी चाहिए और ऐसी शुरूआत के लिए पर्याप्त मुआवाजा केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को भुगतान किया जाना चाहिए, राजस्व के लिए जो इस तरह के कदम से प्रभावित होगा।
41. सभी शेयर बाजार और वायदा लेन–देन पर कर एकत्र किया जाना चाहिए।
42. सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण पर आयकर की पूरी छूट होनी चाहिए।

## सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ

43. लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों का विनिवेश बंद किया जाना चाहिए।
44. सभी बीमार, पुर्नजीवित करने योग्य और संभावित व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र इकाईओं के लिए बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए।
45. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं के प्रमुखों की नियुक्तियाँ जो कि रिक्त पड़ी हैं में तेजी लाई जानी चाहिए।
46. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डल में कर्मचारी/अधिकारी निदेशकों के पद अधिनियम और योजनाओं के अनुपालन में बिना किसी विलंब के भरे जाने चाहिए।
47. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं में सरकार की हिस्सेदारी वित्तीय घाटे को कम करने अथवा वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी।
48. यह सरकार की नीति नहीं होनी चाहिए कि वो वित्तीय घाटे से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं से शेयर की बिक्री करे।
49. सार्वजनिक क्षेत्र में भारी पैमाने पर निवेश किया जाना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए पुख्ता प्रयास हो सकें।
50. बैंकों और बीमा क्षेत्र में सीधा विदेशी निवेश (एफडीआई) समाप्त किया जाना चाहिए।